जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 3-7-18 को पेश है।

राजकीय लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

28-6-18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में मध्यस्थम में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपरान्त उभय का वाद आपसी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। उभय वाद के निस्तारण तक अस्थायी तौर पर आवेदनिय भूमि से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थिया को भूमि पर आवेदनिय को निर्माण करने से रोका जाता है तथा अस्थायी तौर पर उभय वाद के निस्तारण तक उक्त आशय से आवेदनिय को स्थाई रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है कि मुख्य मध्यस्थम तहसील दांतारामगढ़ ख.नं. 7358 रकबा 12.58 है. भूमि में प्रार्थिया के कब्जे मामले में दखलअंदाजी नहीं करें, नहीं तो कार्यवाही अमल में लाई जावे। उभय को मध्यस्थम कार्यालय से मध्यस्थ तथा अधिवक्ता प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। उभय वाद के निपटारे हेतु राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मध्यस्थम के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाए।

सहायक कलक्टर
सीकर